न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमति कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गीता कंवर पुत्री बक्तावरसिंह पत्नी जोरसिंह जाति राजपुत निवासी खोखरा तहसील सोजत हाल निवासी सवराड तहसील मा0ज0 जिला पाली	1. नारायणसिंह पुत्र मंगलसिंह 2. उदयसिंह पुत्र मंगलसिंह 3. देवीसिंह पुत्र मंगलसिंह 4. नरपतसिंह पुत्र मंगलसिंह 5. गणपतसिंह पुत्र मंगलसिंह	
2. उसवकंवर पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी लालसिंह जाति राजपुत निवासी 477 श्यामलाल की गली जिला पाली राज0।	6. अर्जुनसिंह पुत्र मंगलसिंह जातिगण राजपुत निवासीगण खोखरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।	
3. उगम कंवर पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी मानसिंह जाति राजपुत निवासी दहिखेड़ा जिला जोधपुर	7. प्रकाशचंद पुत्र हरीराम 8. श्रवणकुमार पुत्र हीराराम 9. गोपाललाल पुत्र सुआलाल जातिगण देशान्तरी निवासीगण खोखरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।	
4. सायर कंवर पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी रामसिंह जाति राजपुत निवासी कास्टी तह0 बावड़ी जिला जोधपुर।	10. रंजना भार्गव पत्नी शंकरलाल जाति दिसान्तरी निवासी 5ए राजनगर महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर राज0।	
5. रूपकंवर पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी कानसिंह जाति राजपुत निवासी चेराई तह0 तिवरी जिला जोधपुर।	11. सुखलाल पुत्र दोलाराम जाति प्रजापत निवासी खोखरा तह0 सोजत 12. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।	

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 35/2021

उपस्थितिः—

01. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

02. श्री किशन सोनी, श्री कल्याणनाथ अधिवक्तागण अप्रार्थीगण उपस्थित।

—:· निर्णय :—

दिनांक 27/05/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस· आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा खोखरा तह0 सोजत में ख0नं0 146 रकबा 2.37 है0 आयी हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता स्व0 बख्तावरसिंह की खातेदारी की थी। स्व0 बख्तावरसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि में से अपना 1/2 हिस्सा रकबा 1.18 है0 दिनांक 28.05.1979 को भंवरलाल भार्गव को जरिये बेचान रजिस्ट्री बेचान कर पंजीयन करवा दी। शेष 1/2 हिस्सा रकबा 1.18 है0 बख्तावरसिंह के कब्जा काश्त की रही। बख्तावरसिंह के विधि वारिसान मंगलसिंह, उसव कंवर, उगम कंवर, सायर कंवर, रूप कंवर, गीता कंवर हुये। मंगलसिंह फौत होने से उनके विधिक वारिसान नारासणसिंह, उदयसिंह, देवीसिंह, नरपतसिंह, गणपतसिंह व अर्जुनसिंह हुये। स्व0 बख्तावरसिंह के निर्वशीयती मृत्यु होने से हिन्दु उत्तराधिकारी नियम के तहत उक्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 से 6 के पिता मंगलसिंह के हक अधिकार कानूनन निहित हो चुके हैं। बख्तावरसिंह की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण को सूचना दिये बगैर बख्तावरसिंह के हक हिस्से में रही 1/2 रकबा 1.18 है0 की कृषि भूमि अकेले मंगलसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दी गई। जो प्रारम्भतः ही शून्य हैं। दिनांक 30.12.1982 को भंवरलाल भार्गव द्वारा स्व0 बख्तावरसिंह से क्रय की गई 1.18 है0 की कृषि भूमि को स्व0 सुआलाल व अप्रार्थी सं0 7 व 8 को बेचान कर दी तथा दिनांक 18.

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

05.2001 को मंगलसिंह द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम होने से अप्रार्थी सं0 7 व 8 को 1.18 है0 की सम्पूर्ण भूमि जरिये बेचान रजिस्ट्री विक्रय कर पंजीयन करवा दी। जिससे ख0नं0 146 रकबा 2.37 है0 भूमि स्व0 सुआलाल के 1/3 तथा अप्रार्थी सं0 7, 8 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। सुआलाल फौत होने के पश्चात् विरासती नामा0 सं0 1648 के तहत सुआलाल के नाम दर्ज 1/3 भूमि अप्रार्थी सं0 09 के नाम दर्ज हो गई। अप्रार्थी सं0 09 गोपाललाल द्वारा स्व0 सुआलाल से प्राप्त 1/3 हक हिस्से की भूमि को अप्रार्थी सं0 10 रंजना भार्गव के पक्ष में दिनांक 23.10.2019 को जरिये बेचान रजिस्ट्री विक्रय कर पंजीयन करवा दी। इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 8 ने राजस्व रेकर्ड में अपने दर्ज हिस्से की भूमि को अप्रार्थी सं0 11 सुखलाल के पक्ष में दिनांक 30.10.2019 को जरिये बेचान रजिस्ट्री विक्रय कर पंजीयन करवा दी तथा अप्रार्थी सं0 11 द्वारा उसे प्राप्त 1/3 हक हिस्से की भूमि को पुनः दिनांक 24.01.2020 को अप्रार्थी सं0 10 रंजना भार्गव के पक्ष में जरिये बेचान रजिस्ट्री विक्रय कर पंजीयन करवा दी। अप्रार्थीगण उक्त अवैधानिक बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम होने से प्रार्थीगण को उनके पैतृक भूमि से प्राप्त हक हिस्से बेदखल कर कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने पर उतारू हैं। चूंकि प्रार्थित भूमि पुश्तैनी व पैतृक है जिसमे प्रार्थीगण को जन्म से ही हक हिस्सा निहित हो चुका है। जिसे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अप्रार्थीगण द्वारा यदि उक्त विधि विरूद्ध बेचान व राजस्व रेकर्ड में अपना नाम होने से प्रार्थीगणों को अपनी पैतृक भूमि से बेदखल करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से वाद निर्णय तक वादस्थ कृषि भूमि का बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नहीं करने हेतु तथा मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने की ईश्तदुआ की हैं।

अप्रार्थीगण 7, 9 व 10 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादस्थ भूमि प्रार्थीगण के पैतृक संयुक्त परिवार की मालिकाना हक हकूक की कृषि भूमि नहीं हैं। उक्त भूमि में अप्रार्थी सं0 7 का 1/3, अप्रार्थी सं0 10 का 2/3 हक हिस्सा निहित हैं, जो भूमि उन्होने अपने प्रिसिपल विक्रेताओं से राशि अदा कर खरीद की हैं। बख्तावरसिंह की प्रार्थीया जांहिदा पुत्रीयां है या नहीं इसकी उन्हे कोई जानकारी नहीं हैं। वंशावली में मंगलसिंह की पत्नी का कही भी उल्लेख नहीं किया गया हैं। अप्रार्थीगण सं0 1 से 6 मंगलसिंह के पुत्र संतान है या नहीं यह प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हैं। बख्तावरसिंह के देहान्त के बाद में उनके अकेले पुत्र मंगलसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में नामा0 सं0 99 के तहत बतौर खातेदार इन्द्राज हुआ। प्रार्थीगण को वादस्थ भूमि में कहीं पर कब्जा काश्त नहीं हैं। यदि उक्त नामा0 सं0 99 विधि विरूद्ध था तो प्रार्थीगण उसी समय नामान्तरकरण को चैलेन्ज कर सकती थी, जो कि उन्होंने मंगलसिंह के जीवनकाल में नहीं किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 से 6 ने दुरभि संधि कर षड़यंत्रपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि को हड़पने की बदनियती से उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पेश किया। मौजा खोखरा में स्व0 मंगलसिंह के ओर भी कृषि भूमियां स्थित है जिसमें अप्रार्थी सं0 1 से 6 का ही नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा कोई उज्र एतराज सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किया हैं। स्व0 बख्तावरसिंह ने भंवरलाल भार्गव को दिनांक 28.05.1979 को ख0नं0 146 की 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि व ख0नं0 151 रकबा 1.33 है0 की सम्पूर्ण कृषि भूमि को बेचान किया था और कब्जा ख0नं0 153 रकबा 1.28 है0 की कृषि भूमि पर स्वयं का भी होने से भंवरलाल को ख0नं0 153 का कब्जा सुपुर्द किया। इसलिये भंवरलाल ने उक्त बेचान रजिस्ट्री के उस समय अपना म्यूटेशन ख0नं0 151 में बेचान के आधार पर इन्द्राज नहीं कराया था। श्रीमान एआरओ साहब जोधपुर के यहां दर्ज पत्रावली सं0 1426/1979 में मंगलसिंह ने उक्त उज्रदारी कार्यवाही में गैरसायल ढगलाराम वगैरह के साथ राजीनामा कर माफिक कब्जा अनुसार ख0नं0 151 व 153 के संबंध में प्रकरण का निस्तारण कराया गया। वर्तमान में उक्त भूमि बासना रोड़ पर आ चुकी है जिससे की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 व 6 की नियत बद हो चुकी है। अप्रार्थीगण एक सदभाविक क्रेता है, व अपनी अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुये हैं। अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि के रेकर्डेड खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया

उपखण्ड अधिकारी,
रोजन

Scanned with CamScanner

मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। विशेष उज्रात पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त परिवार की पुश्तैनी भूमि कैसे इसका उल्लेख वादपत्र में कहीं नहीं किया गया हैं। न ही दस्तावेज पेश किये हैं। प्रार्थीगण बख्तावरसिंह की जांहिदा पुत्रियां है इसका भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा किस प्रकार बनता है इसका भी उल्लेख नहीं किया हैं। प्रार्थीगण का वादस्थ कृषि भूमि पर पुश्तैनी कब्जा रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थीगण बिना कब्जा एवं बिना खातेदारी घोषणा के वाद इतने समय वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार विशेष उज्रात मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज करने की ईश्तदुआ की हैं। अप्रार्थीगण सं0 1 से 06 ने ईकबालिया जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर माफिक ईश्तदुआ अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेज का अवलोकन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया। वस्तुतः स्व बख्तावरसिंह के नाम सरहद मौजा खोखरा तह0 सोजत में ख0नं0 146 रकबा 2.37 है0 की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी एवं स्व बख्तावरसिंह के देहान्त से पूर्व 1/2 हिस्सा रकबा 1.1800 हैक्टर का बेचान किया जाना एवं बख्तावरसिंह के देहान्त के पश्चात 1/2 हक हिस्सा सम्पूर्ण स्व मंगलसिंह के नाम दर्ज होना स्पष्ट होता है। पक्षकारो के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में जबाब दावा रेकर्ड पर लिया जाकर तनकीयात कायम कर गुणावगुण पर किया जायेगा। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया वादस्थ भूमि पुश्तैनी होता प्रतित होता है। स्व बख्तावरसिंह के नाम दर्ज वादस्थ कृषि भूमि उनके देहान्त के पश्चात स्व मंगलसिंह के नाम दर्ज की गई जबकि स्व बख्तावरसिंह के मंगलसिह के अलावा अन्य वारिसान भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। मूल वाद निर्णय से पूर्व प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति भी होगी जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष सिद्ध होता है। लिहाजा वाद निर्णय तक वादस्थ कृषि भूमि के मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को रोका जाना न्यायोचित समझते है।

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा खोखरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर .146 रकबा 2.3700 हैक्क्टर किस्म गै0मु0 बंजड भूमि के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करने एवं मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है तथा किसी प्रकार का बैचान रहन व अन्य हस्तान्तरण करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner